लोक सुनवाई का वृत।

मेसर्स मारुती ट्रैडिंग कंपनी, प्रस्तावकः श्री विनोद कुमार, पताः वार्ड नं0–06, गढ़ के पीछे, रावत्सर, जिला–हनुमानगढ़ (राजस्थान) द्वारा गया फल्गू नदी बालू घाट–14, ग्राम–पीर बीधा गन्नू बीधा, अंचल–गया टाउन सी.डी. ब्लॉक जिला–गया अन्तर्गत बालू खनन परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् दिनांक 20.07.2023 को अपराह्न 12:30 बजे अंचल कार्यालय, गया, जिला–गया के प्रागंण में लोक सुनवाई की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत TOR File. No. SIA/1(a)/2381/2023, dated 11.05.2023 के आलोक में श्री अंजनी कुमार, अपर समाहर्ता, गया (जिला पदाधिकारी, गया के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दिनांक 20.07.2023 को अपराह्न 12:30 बजे अंचल कार्यालय, गया, जिला–गया में लोक–सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (**अनुलग्नक–1**)

इस लोक–सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा द टाइम्स ऑफ इंडिया एवं हिन्दुस्तान के माध्यम से दिनांक 18.06.2023 को प्रकाशित की गयी थी (**प्रतिलिपि संलग्न**)। लोक–सुनवाई के दौरान श्री मनोरंजन कुमार सिंह, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, गया द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित जन–समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला गया।

क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा गया फल्गू नदी बालू घाट–14, ग्राम–पीर बीधा गन्नू बीधा, अंचल–गया टाउन सी.डी. ब्लॉक जिला–गया के लेसी प्रतिनिधि को मंच के समीप आकर अपना परिचय देने के लिए कहा गया। तद्नुसार लेसी प्रतिनिधि के द्वारा अपना परिचय लोक सुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावों को दिया गया।

अपर समाहर्ता महोदय द्वारा लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उदेश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव मॉगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री अंकुर शर्मा ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी (Corporate Social Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा साथ ही वाहनों पर ओवरलोडिंग नही की जायेगी एवं वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ले जाया जायेगा।

खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भूजल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा। परियोजना प्रस्तुतीकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवतः हैः–

कमांक	नाम एवं पता	प्रतिकिया/सुझाव
1.	श्री विनोद कुमार, पिताः श्री वीरेन्द्र सिंह, पताः शादीपुर, जिलाः गया।	इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि बालू घाट को बन्द नहीं किया जाय तथा बालू उठाव के दौरान एवं अन्य कार्यो में स्थानीय नागरीको को प्राथमिकता देते हुये रोजगार दिया जाय। उपरोक्त सुझाव को प्रस्तावक प्रतिनिधि द्वारा स्वीकार किया गया।
2.	श्री संजय कुमार, पिताः वासुदेव यादव, पताः शादीपुर, मानपुर, जिलाः गया।	इनके द्वारा भी सुझाव दिया गया कि बालू घाट को चालू किया जाय तथा बालू उठाव के दौरान एवं अन्य कार्यो में स्थानीय नागरीको को प्राथमिकता देते हुये रोजगार दिया जाय। उपरोक्त सुझाव को प्रस्तावक प्रतिनिधि द्वारा स्वीकार किया गया।
3.	श्री नागेन्द्र सिंह, पिताः देवनन्दन सिंह, पताः रसदपुर, जिलाः गया।	इनके द्वारा बताया गया कि बालू घाट पर जो भी बालू का उठाव होगा वह सरकार के गाईड–लाईन के अनुसार उठाव होना चाहिए। उपरोक्त बातो को प्रस्तावक प्रतिनिधि द्वारा स्वीकार किया गया।
4.	श्री धमेन्द्र सिंह, पिताः स्व0 बलदेव सिंह, पताः शादीपुर, जिलाः गया।	इनके द्वारा वायु प्रदूषण की रोक–थाम एवं रोजगार से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु दिन में तीन से चार बार जल का छिड़काव किया जायेगा, बालू से लदे वाहनों के परिवहन के दौरान पूर्ण रूप से वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर परिवहन किया जायेगा साथ ही बालू उठाव के दौरान, पेड़ पौधो के देख–रेख एवं अन्य कार्यो में स्थानीय नागरीको को प्राथमिकता देते हुये उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार दिया जायेगा। इसप्रकार श्री धमेन्द्र सिंह को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।

5.	श्री अमित कुमार, पिताः रामजी शर्मा, पताः बिदबिगहा, जिलाः गया।	इनके द्वारा भी वायु प्रदूषण की रोक–थाम एवं सुरक्षा से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया किः **वायु प्रदूषण नियंत्रण की रोक–थाम हेतु निम्न कार्य किया जायेगाः–**बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु दिन में तीन से चार बार जल का छिड़काव किया जायेगा, बालू से लदे वाहनों के परिवहन के दौरान पूर्ण रूप से वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर परिवहन किया जायेगा। **सुरक्षा हेतु निम्न कार्य किया जायेगाः–**सुबह की अवधि में कार्यालय जाने के समय एवं बच्चों को स्कूल जाने के समय बालू लदे वाहनो का संचालन नहीं किया जायेगा। बालू परिवहन के दौरान किसी प्रकार की असामयिक दुर्घटना होने पर सरकार के द्वारा मुआवजा देने का प्रावधान है, जिस क्रम में राज्य सरकार के द्वारा निर्गत दिनांकः 15.08.2021 के नये अधिसूचना के आलोक में परिवहन विभाग के द्वारा मुआवजा दिया जायेगा। इसप्रकार श्री अमित कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के क्रम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेगें एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ही ले जायेगें, घाटो पर बालू की खुदाई 3 मीटर ही करेगें। उन्होने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

जन–सुनवाई के अतं में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सर्वसम्मति से बालू घाट के खनन परियोजना को शीध्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

क्षेत्रीय पदाधिकारी बि.रा.प्र.नि.पर्षद्, गया	अपर समाहर्त्ता, गया

उपस्थिति सूची

मेसर्स मारूती ट्रैडिंग कंपनी, प्रस्तावकः श्री विनोद कुमार, पताः वार्ड नं0—06, गढ़ के पीछे, रावत्सर, जिला—हनुमानगढ़, राजस्थान (गया फल्गू नदी बालू घाट—14, ग्राम—पीर बीधा गन्नू बीधा, अंचल—गया टाउन सी.डी. ब्लॉक जिला—गया) का प्रस्तावित बालू खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांकः 20.07.2023 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में अंचल कार्यालय, गया, जिला—गया में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित महानुभावों की सूचीः

क्र0सं0	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.			
2.	मनोरंजन कुमार सिंह	क्षेत्रीय पदाधिकारी बि० रा० प्र० नि० पर्षद	[signature] 20.7.23
3.	अमित कुमार M-I	खनन कार्यालय, गया	[signature] 20/07/23
4.	शिव शंकर राम CO Gayatown	CO Gayatown	[signature] 20/7/23
5.	मदनलाल पीस्ट मैनेजर	मेसर्स मारूती ट्रेडिंग कम्पनी वार्ड नं-6, रावतसर हनुमानगढ़ (राज.)	Madan [signature]
6.	Ankur Sharma Consultant CRIPL	B-02 H-61 Sec-63 Noida (U.P)	[signature]
7.	धर्मेन्द्र कुमार पिता - स्व० बालदेव सिंह	ग्राम - शादीपुर अंचल - मानपुर गया 8789847783	[signature]
8.	सुमित प्रकाश पिता- सुधीर कु० वर्मा	ग्राम- पीर बिघा, मानपुर गया 9097127157	Sumit
9.	कुन्दन कुमार सिंह पिता - उपेश्वर सिंह	ग्राम - सादीपुर अन्चल - मानपुर गया 8873984045	Kundan

10.	राहुल कुमार पिता - बिरेन्द्र चौधरी	ग्राम पिरबिगहा पोस्ट रसलपुर गया	Rahul Kumar
11.	गब्बर सिंह S/O पिता सुधीर सिंह	ग्राम - शादिपुर पोस्ट - सौन्धी गया	GABBAR Singh
12.	सुजन कुमार यादव पिता वासुदेव यादव	ग्राम शादीपुर पोस्ट सौन्धी जिला गया प्रखंड मानपुर MO- 9507226398	सुजन कुमार
13.	जितेन्द्र कुमार पिता - रामचन्द्र मांझी ग्राम शादीपुर पो० सौन्धी थाना [illegible]	MO 9576771847 ग्राम शादीपुर	Jitendra Kumar
14.	दिलीप कुमार बिमल चौधरी	ग्रा. पिरबिगहा 7546800323	Dilip Kumar
15.	चंदन कुमार रामदेव यादव	ग्राम:- शादीपुर, पो०- सौंधी 9128460914	Chandan Kr
16.	सुजीत कुमार शिवदयाल यादव	ग्राम शादीपुर पो०- सौन्धी गया 9934445904	[illegible]
17.	Shubham Kumar Sri-Dilip yadav	Vill- Mathiyapar Mob- 8969565447	Shubham
18.	Kundan. Kumar Sri - Arjun Yadav	Vill - mathiyapar Mob - 6205549952	Kundan. Kr
19.	Nitesh - kumar Sri. Sunil-yadav	Vill .. mathiyapar Mob:- 7667750920	Nitesh
20.	Deepak kum Sri Jayjaylal	Vill :- Mathiyapar mob:- 7033125935	Deepak Kumar

21.	छोटू - यादव भोला यादव	ग्राम मकीआपर mob 9199071753	Chhotu Kumar
22.	अशोक कुमार S/o - गुडु चौधरी	शेखा - बिगहा मानपुर 8084195931	Ashok Kumar
23.	श्रवण कुमार राजन पिता - कामदेव राजन	8210101806 शेखाबिगहा मानपुर	श्रवण कुमार राजन
24.	राजू चौधरी पिता गुड्डु चौधरी	शेखा बिगहा, मानपुर 7061917540	राजू चौधरी
25.	Mahendra Kumar Ramparsad ram	Shekha Bigha 9199246052	Mahendra Kumar
26.	कुमराइ .. S/o लाल चन्द्र जी	6201425922 मानपुर गया	[illegible]
27.	रवि कान्त S/o सुरेन्द्र [illegible]	6207099930 लोदीपुर गया.	[illegible]
28.	राहुल - सिंह पि अनुप - कुमार	7482814569 शादीपुर	Rahul Singh
29.	Vinay Kumar Suresh Prasad	7988904028 Sadipur	VK
30.	SHANKAR Singh	7091393800 RSamahi	Singh
31.	राज कुमार	9572339956 शादीपुर	राज

32.	विकास कुमार	रतो दूत 6205078948	Bikty
33.	Mukesh Kumar Shri Mahendra Saw	तेलखिरहा 7367992305	Mukesh Ku.
34.	Satyendra Kumar.	Kandi Nawada gaya. 7004958014	[illegible]
35.	मनोज कुमार पिता [illegible]	पिर बिगहा 9931585883	मनोज कुमार
36.	Ravilal yadav S/o Raghuballabh Prasad	Kukiyasin 8340555358	[illegible]
37.	Sharvan Kumar s/o Jagdish	Kukiyasin 9351853266	Sharvan
38.	Uday Singh s/o Raj Kumar	Sadipur 7426065307	उदय सिंह
39.	Prince Kumar S/o. Shashikant Singh	Sodi 7250960688	Prince Kumar
40.	दिनेश मांझी	शादीपुर	दिनेश मांझी
41.	रोशन कुमार S/o रविन्द्र सिंह	शादीपुर 9973456719	रोशन कुमार
42.	श्रीकान्त कुमार नरेश यादव	7488183660 शादीपुर	श्रीकान्त

43.	मुसताक साह	तकिया रसलपुर	मुसताक साह
44.	गौतम कुमार पीता सुरेन्द्र सिंह	सोन्धी 9006772584	गौतम कुमार ~~सुरेन्द्र सिंह~~
45.	Surya Bhushan Nand Kishor Prasad	सोन्धी 9155010569	[signature]
46.	Saurabh Kumar Sunil Prasad	रसलपुर तकिया 7857083708	Saurabh
47.	मुन्ना कुमार वर्मा स्व० च० द्वदेव प्रसाद	सोन्धी 8804984559	मुन्ना कुमार
48.	Raushan Ri [illegible]	[illegible] 9702362280	Raushan [illegible]
49.	[illegible] Kumar	Cognizance Research India pvt Ltd	[signature] 20/7/23
50.			
51.			
52.			
53.			